



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

Website : www.shekhauni.ac.in

E-mail : reg.shekhauni@gmail.com,
ce.pdsusikar@gmail.com

क्रमांक : 7944

दिनांक : 13/8/24

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्धता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण (2 वर्षीय व 4 वर्षीय) महाविद्यालय,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,
सीकर।

विषय :- बी.एड. (2 वर्षीय) भाग-प्रथम व द्वितीय तथा बी.एससी.-बी.एड./बी.ए.-बी.एड.
(4 वर्षीय) भाग-तृतीय एवं चतुर्थ की आन्तरिक/बाह्य प्रायोगिक (वार्षिक
पठयोजना) परीक्षा - 2024 आयोजित करवाये जाने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि बी.एड. (2 वर्षीय) भाग-प्रथम व द्वितीय
तथा बी.एससी.-बी.एड./बी.ए.-बी.एड. (4 वर्षीय) भाग-तृतीय एवं चतुर्थ की आन्तरिक/बाह्य
प्रायोगिक (वार्षिक पठयोजना) परीक्षा-2024 दिनांक 16/08/2024 से दिनांक 27/08/2024
तक आयोजित कर अंक ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों की परीक्षा निर्धारित समय में
आयोजित करवाकर अंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। साथ ही परीक्षार्थियों के प्रायोगिक
रिकॉर्ड (फाईल/असाईनमेंट) को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जिसे विश्वविद्यालय
द्वारा आवश्यक होने पर मांगा जा सकता है तथा अंकसूची की हार्डकॉपी अनिवार्य रूप से
विश्वविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु बाह्य परीक्षक की नियुक्ति की सूचना व
अन्य जानकारी कॉलेज पोर्टल ऑनलाइन उपलब्ध है। आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी
गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य
की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल
नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित करें।
2. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ही प्रायोगिक
परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय उसे
Decline कर उसकी सूचना ई-मेल आई.डी. ce.pdsusikar@gmail.com पर
आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी
प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावे। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक
परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया
जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

①

प्रकाश

4. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्ण छात्रों के अंकों को मैन्युअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से लिखित में असहमति (वाट्सएप/ई-मेल/पत्र/टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से) प्राप्त होने तक बाह्य परीक्षक को Decline नहीं करें तथा बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति नहीं दिये जाने पर कार्यालय के ई-मेल ce.pdsusikar@gmail.com पर सूचित कर कार्यालय निर्देश का इंतजार करें। बाह्य परीक्षक की बिना सहमति के यदि Decline किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए उसकी समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं Hold कर दी जायेगी।
6. आन्तरिक/बाह्य प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयों द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं अथवा जिन परीक्षार्थियों ने प्रक्रिया अन्तर्गत विषय परिवर्तित करवाया है तो ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड्स ऑनलाइन पोर्टल पर सम्बन्धित कक्षा/विषय के उपलब्ध लिंक (Additional/New TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। साथ ही परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।
7. आन्तरिक/बाह्य प्रायोगिक परीक्षा के किसी कक्षा/विषय में छात्र के अनुक्रमांक वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उसकी योग्यता की जाँचकर संबंधित विषय तथा प्रश्न पत्र के आन्तरिक/प्रायोगिक अंकों को New TRF में ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में यदि छात्र का परिणाम त्रुटिपूर्ण रहता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
8. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि किसी भी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
9. प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराने एवं अवार्ड भरने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर कॉलेज पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के दूरभाष नम्बर 8960032208 पर सम्पर्क करें।
10. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक के ऑनलाइन जनरेट बिलों में किसी भी प्रकार से हस्तलिखित (Manually) तौर पर छात्रों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय

(2)

सुनील

नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

11. आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न करवाकर उसकी हार्डकॉपी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार शीघ्रतिशिघ्र आन्तरिक/बाह्य प्रायोगिक परीक्षाएँ तिथि से पूर्व आयोजित करवाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक : 1944

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. कुलपति सचिवालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. लेखा शाखा।
4. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक
दिनांक 13/8/24

(डॉ. संजीव कुमार)

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

(3)